24.4.25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा बहस सुनी गई। पत्रावली निर्णय हेतु नियत की जाती है। निर्णय प्रथम श्रेणी न्यायालय, करौली में पत्रावली नियत की जाती है। पत्रावली के समस्त मूल दावे के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:23:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)